<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 16/10/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 15.10.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. **<u>आदरणीय महोदय सराहनीय कार्य जनपद गाजीपुर</u>**

<u>“मिशन शक्ति” अभियान फेज-05 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के दृष्टिगत महिलाओं/बालिकाओं के साथ किये गये अपराध के विरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति के तहत जनपद पुलिस द्वारा प्रभावी तथा सशक्त पैरवी करते हुए एक अबोध बालिका के साथ हुए क्रूर अपराध के अभियुक्त को कठोरतम सजा माननीय न्यायालय द्वारा कराई गई।</u>

“श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/-रू अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई सजा।

दिनांक 15.10.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2023 धारा 376 भादवि व 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त 1. जय हिन्द राम पुत्र निधू राम निवासी लारपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 40,000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर